-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.03.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कमासिन पुलिस द्वारा 60 हजार रुपए बाण्ड की धोखाधड़ी कर रुपए निकालने वाले वांछित बैंक/फ्रेन्चाइजी मैनेजर को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त द्वारा सहारा इण्डिया बैंक/फ्रेन्चाइजी शाखा कमासिन में मैनेजर पद पर रहते हुए व्यक्ति के फर्जी तरीके से निकाले थे रुपये ।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमासिन पुलिस द्वारा 60 हजार रुपए बाण्ड की धोखाधड़ी कर रुपए निकालने वाले बैंक/फ्रेन्चाइजी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना कमासिन क्षेत्र के ग्राम पछौहा के रहने वाले प्रेमसागर पाण्डेय द्वारा दिनांक 22.05.2024 को थाना कमासिन पर सूचना दी कि उसने दिनांक 07.12.2017 को सहारा इण्डिया बैंक/फ्रेन्चाइजी शाखा कमासिन से उसने 16-16 हजार रुपए के तीन बाण्ड तथा 12 हजार रुपए का एक बाण्ड (कुल 60 हजार) खरीदा था जिसे सहारा इण्डिया बैंक/फ्रेन्चाइजी शाखा कमासिन के बैंक मैनेजर जगदीश प्रसाद यादव द्वारा दिनांक 10.01.2019 को फर्जी तरीके से निकाल लिया गया था । इस सम्बन्ध में थाना कमासिन में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे । इसी क्रम में थाना कमासिन पुलिस द्वारा अभियुक्त को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया । बता दें कि अभियुक्त जगदीश प्रसाद यादव के विरुद्ध पूर्व में भी धोखाधड़ी व गबन के मामलें दर्ज है तथा वह जेल भी जा चुका है एवं वर्तमान में जमानत पर बाहर था ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जगदीश प्रसाद यादव पुत्र चुनवाद यादव निवासी कुम्हेड़ासानी थाना कमासिन जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 90/24 धारा 406/419/420 भादवि थाना कमासिन जनपद बांदा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जगदीश प्रसाद उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 58/20 धारा 408 भादवि थाना कमासिन जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0 218/22 धारा 406/420 भादवि थाना कमासिन जनपद बांदा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष कमासिन श्री अजीत प्रताप सिंह
2. श्री दुर्विजय सिंह चौकी प्रभारी दांदौघाट
3. कां0 हिमांशू सिंह